

उत्तराखण्ड विधान सभा

## उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 05 अग्रहायण, शक संवत्, 1936  
( दिनांक : 26 नवम्बर, 2014 )

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी "ख" तथा "ग")
3. निधन के निदेश।
4. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2014 के द्वितीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
6. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या एक में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री पिन्टू, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 2 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रवीन कुमार, निवास पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-2, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 3 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती सुशीला, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-3 व पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।





24. श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम सिसैया (मेलाघाट) गांव के आगे मोलाघाट नेपाल रोड़ नाले की 32 फुट चौड़े पुल के निर्माण करवाने के सम्बन्ध में" श्री कुसुम देवी, निवासी ग्राम सिसैया अमाऊ, खटीमा पो0 खालीमहुवट, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
25. श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत दियॉ-गांगी गिधौर, विकास खण्ड खटीमा के 5 कि०मी० नालों की सफाई एवं चौड़ीकरण करवाने के सम्बन्ध में" श्री नवीन सिंह कन्याल, निवासी ग्राम पंचायत दियॉ-गांगी गिधौर, पो० बिरिया मझोला विकास खण्ड खटीमा जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
26. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
27. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
28. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
29. संसदीय कार्य मंत्री, मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
30. संसदीय कार्य मंत्री, मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करेंगे।
31. कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
32. कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पुरःस्थापित करेंगे।
33. आवास एवं शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
34. आवास एवं शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद विधेयक, 2014 पुरःस्थापित करेंगे।
35. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
36. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने पुरःस्थापित करेंगे।
37. औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
38. औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद विधेयक, 2014 पुरःस्थापित करेंगे।
39. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा० अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"घ")

40. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

41. वित्तीय वर्ष 2014-2015 की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान:-

- (1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत **रु0 3000 हजार (तीस लाख)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।
- (2) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-03 मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत **रु0 1100000 हजार (एक सौ दस करोड़)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।
- (3) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत **रु0 127785 हजार (बारह करोड़ सतहत्तर लाख पचासी हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।
- (4) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत **रु0 56464 हजार (पांच करोड़ चौसठ लाख चौसठ हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ड) )

- (5) वित्त मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत **रु0 4460099 हजार (चार सौ छियालीस करोड़ निन्यानवे हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ड) )

- (6) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत **रु0 12250 हजार (एक करोड़ बाईस लाख पचास हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ड) )

- (7) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत **रु0 3 हजार (तीन हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।
- (8) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रु0 742109 हजार (चौहत्तर करोड़ इक्कीस लाख नौ हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ड) )

- (9) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रु0 996268**

हजार (निम्नानवे करोड़ बासठ लाख अड़सठ हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )

- (10) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रु0 1062141 हजार (एक सौ छः करोड़ इक्कीस लाख इकतालीस हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )

- (11) पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत **रु0 1077930 हजार (एक सौ सात करोड़ उन्यासी लाख तीस हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )

- (12) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत **रु0 271800 हजार (सत्ताईस करोड़ अठारह लाख)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )

- (13) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत **रु0 1346558 हजार (एक सौ चौतीस करोड़ पैंसठ लाख अट्ठावन हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )

- (14) श्रम मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत **रु0 371361 हजार (सैंतीस करोड़ तेरह लाख इकसठ हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )

- (15) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत **रु0 1321484 हजार (एक सौ बत्तीस करोड़ चौदह लाख चौरासी हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )

- (16) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत **रु0 38000 हजार (तीन करोड़ अस्सी लाख)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )

- (17) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत **रु0 29750 हजार (दो करोड़ सत्तानवे लाख पचास हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )

- (18) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत **रु0 1998063 हजार (एक सौ निन्यानवे करोड़ अस्सी लाख तिरसठ हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )

- (19) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत **रु0 2980000 हजार (दो सौ अट्ठानवे करोड़)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )

- (20) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत **रु0 6500 हजार (षैंसठ लाख)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )

- (21) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत **रु0 644662 हजार (छौंसठ करोड़ छियालीस लाख बासठ हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )

- (22) खाद्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत **रु0 7206 हजार (बहत्तर लाख छः हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )

- (23) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत **रु0 220000 हजार (बाईस करोड़)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )

- (24) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत **रु0 333994 हजार (तींतीस करोड़ उनतालीस लाख चौरानवे हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

**(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )**

- (25) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत **रु0 258134 हजार (पच्चीस करोड़ इक्कासी लाख चौंतीस हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

**(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )**

- (26) उद्यान मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत **रु0 95571 हजार (नौ करोड़ पचपन लाख इकहत्तर हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

**(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )**

- (27) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रु0 1143045 हजार (एक सौ चौदह करोड़ तीस लाख पैतालीस हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

**(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )**

- (28) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रु0 475893 हजार (सैंतालीस करोड़ अट्ठावन लाख तिरानवे हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

**(कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी (ङ) )**

42. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2014-2015 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।
43. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2014-2015 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करेंगे।
44. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014-2015 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।
45. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014-2015 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।



46. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

- 1 श्री अजय भट्ट
- 2 श्री तीरथ सिंह रावत
- 3 श्री हरबंस कपूर
- 4 श्री बंशीधर भगत
- 5 श्री बिशन सिंह चुफाल
- 6 श्री मदन कौशिक
- 7 श्रीमती विजय बड़थवाल
- 8 श्री हरभजन सिंह चीमा
- 9 श्री अरविन्द पाण्डे
- 10 श्री चन्दन राम दास
- 11 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
- 12 श्री चन्द्रशेखर
- 13 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
- 14 श्री गणेश जोशी
- 15 श्री मालचन्द
- 16 श्री पुष्कर सिंह धामी
- 17 डा० प्रेम सिंह राणा
- 18 श्री राजकुमार टुकराल
- 19 श्री महावीर सिंह
- 20 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
- 21 श्री आदेश चौहान
- 22 श्री संजय गुप्ता
- 23 स्वामी यतीश्वरानन्द
- 24 श्री दलीप रावत
- 25 श्री पूरन सिंह फर्त्याल

“उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014” को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

47. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 पारित किया जाय।
48. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।(15 मिनट)

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

- 1 श्री अजय भट्ट
- 2 श्री तीरथ सिंह रावत
- 3 श्री हरबंस कपूर
- 4 श्री बंशीधर भगत
- 5 श्री बिशन सिंह चुफाल
- 6 श्री मदन कौशिक
- 7 श्रीमती विजय बड़थवाल
- 8 श्री हरभजन सिंह चीमा
- 9 श्री अरविन्द पाण्डे
- 10 श्री चन्दन राम दास
- 11 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना

“उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014” को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

- 12 श्री चन्द्रशेखर
  - 13 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
  - 14 श्री गणेश जोशी
  - 15 श्री मालचन्द
  - 16 श्री पुष्कर सिंह धामी
  - 17 डा० प्रेम सिंह राणा
  - 18 श्री राजकुमार टुकराल
  - 19 श्री महावीर सिंह
  - 20 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
  - 21 श्री आदेश चौहान
  - 22 श्री संजय गुप्ता
  - 23 स्वामी यतीश्वरानन्द
  - 24 श्री दलीप रावत
  - 25 श्री पूरन सिंह फर्त्याल
49. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014 पारित किया जाय।
50. माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :- **(30 मिनट)**  
“राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृषि, औद्योगिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त को सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।”
51. माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :- **(30 मिनट)**  
“राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभा वर्गों के प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।”
52. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-  
“जनपद देहरादून के पछवाडून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।”**(30 मिनट)**

53. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

“प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।” (30 मिनट)

54. डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी:-

“उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने सम्बन्धी।” (30 मिनट)

55. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:- (30 मिनट)

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में स्थानीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदान की अनिवार्यता की जाय।”

56. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:- (30 मिनट )

“जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005-25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्चात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005-2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है:-

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लिंगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरास पट्टी, 13. मितरली, 14. मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रंट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गठन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।

अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना, जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005-25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बन्धी।”

57. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर, चर्चा:—(30 मिनट )
- “उत्तराखण्ड राज्य में “ईको सेंसिटिव जोन” को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जाये।”
58. श्री राजकुमार टुकराल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी सकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:—
- “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि समस्त उत्तराखण्ड राज्य की मलिन बस्तियों में नजूल भूमि व कृषि कार्य वाली भूमि पर वर्षों से असहाय रूप से निवास कर रहे निर्धन नागरिकों को उनके स्वामित्व में फ्रीहोल्ड कर पट्टे प्रदान किये जाएं एवं शहरी कालोनियों में फ्रीहोल्ड प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ कर नागरिकों को भौमिक अधिकार प्रदान किये जाए।”
59. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी सकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:—
- “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में बाल मजदूरी को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।”
60. श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी सकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:—
- “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगे हुए ग्राम पंचायतों से लोगों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार हेतु एक अलग से योजना बनाई जाय।”
61. श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी सकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:—
- “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के 1065 गैर आबाद ग्रामों को पुनः आबाद करने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाने तथा राज्य के ग्रामीण श्रेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए समयबद्ध योजना बना कर क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।”

62. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी सकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गंगा सफाई अभियान की तरह उत्तराखण्ड की काशी बागेश्वर की प्रसिद्ध नदी सरयू व गोमती को स्वच्छ, निर्मल बनाये जाने के लिए सरकार योजना बनाकर प्रयास सुनिश्चित करें।”

63. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।”

64. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।”

65. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-


“सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति “यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिये “गंगा विकास प्राधिकरण” की भांति “यमुना विकास प्राधिकरण” का गठन भी किया जाय।”

66. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

67. जनपद बागेश्वर में उपभोक्ताओं को पैकिंगकर्ता एवं विपणनकर्ता (ए) गोपाल जी डेयरी फुड्स प्रा0लि0 बुलन्दशहर (यू0पी0) (बी) डेयरी इण्डिया प्रा0लि0 गजरौला (यू0पी0) नाम से दूध एवं इससे निर्मित उत्पादों की सप्लाई जांचोपरान्त किये जाने के संबंध में श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को दी गई सूचना पर, दुग्ध विकास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

68. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पहसेनी में गंगा खादर हरिस्तनापुर से विस्थापित होकर रनसाली गांव में बसाये गये 25 परिवारों को भूमि तथा मालिकाना हक दिये जाने के संबंध में डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को दी गई सूचना पर, राजस्व मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

देहरादून :  
दिनांक : 25 नवम्बर, 2014

आज्ञा से,  
  
(जगदीश चन्द्र)  
सचिव।



तृतीय सत्र, 2014  
का प्रथम बुधवार

## उत्तराखण्ड विधान सभा

### की कार्यसूची

बुधवार, 05 अग्रहायण, शक संवत्, 1936

( दिनांक : 26 नवम्बर, 2014 )

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

श्री हीरा सिंह बिष्ट 10.11.2014	"क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य के सिडकुल क्षेत्र में कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भत्ते के साथ श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विभिन्न कारखानों में अपनी न्यायाचित मांगों के लिए किये गये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शनों में से कहां और कितनी मांगों का समाधान श्रम विभाग ने किया है तथा विभिन्न कारखानों में शांतिपूर्वक धरना देने व यूनियन बनाने के आदेशों में कितने श्रमिकों को गैर कानूनी रूप से कारखानों से निकाल दिया गया है ? यदि हां, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम
------------------------------------	---	------

## नत्थी "ख"

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत  
तृतीय सत्र 2014 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री नवप्रभात 06.01.2014	'01. विस्तीर्णता एवं विभिन्न विभागों से संबंधित होने के आधार पर निरस्त।  क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को चिन्हित करने की क्या नीति है ? क्या सरकार के सभी विभागों द्वारा एक ही सूची के आधार पर कार्यवाही की जा रही है या विभाग अपनी योजनाओं के लिये बीपीएल लाभार्थी स्वयं चिन्हित करते हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विभागों के अलग अलग सूची के आधार पर कार्य किये जाने का क्या औचित्य है ?	ग्राम्य विकास
-----------------------------	---	------------------



## नत्थी 'ग'

### तारांकित प्रश्न

- श्रीमती विजय बड़थवाल  
05.08.2014
- '1. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में मनरेगा से श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि मनरेगा के श्रमिकों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है ? यदि नहीं तो सरकार पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वाराखाल दुगड़डा एवं विकासखण्ड यमकेश्वर के 2012 से 2014 तक के मनरेगा कार्यों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- ग्राम्य विकास
- श्री मदन कौशिक  
11.08.2014
- '2. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधायक निधि के खर्च हेतु नियमों में परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस परिवर्तन की क्या आवश्यकता है तथा क्या सरकार निधि को समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- ग्राम्य विकास
- श्रीमती अमृता रावत  
14.08.2014
- '3. **द्वितीय गुरुवार के तारा 15 में स्थाना 0**  
क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत किन किन क्षेत्रों में हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने की मांग किस किस स्तर से प्राप्त हुयी है और प्राप्त मांग के सापेक्ष में किन किन स्थानों पर अभी तक हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अवशेष स्थानों पर कब तक हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जायेंगे और हैण्डपम्प अधिष्ठापित न किये जाने के कारण उत्पन्न पेयजल संकट के निवारण हेतु पेयजल की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी हे ?
- पेयजल
- श्री दलीप सिंह रावत  
20.08.2014
- '4. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नैनीडांडा एवं रिखणीखाल विकासखण्डों में मिट्टी का तेल नियमित वितरण न होने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त क्षेत्र में दूसरे जिलों से मिट्टी तेल आपूर्ति करने के क्या कारण हैं ?
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
- श्री नवप्रभात  
21.08.2014
- '5. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।**  
क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की 20349 लघु सिंचाई योजनाओं का जिलेवार फांट बटवारा क्या है तथा उन पर कितना निवेश किया गया है तथा जिन लघु सिंचाई योजनाओं से सिंचाई नहीं हो रही है उनकी जिलेवार संख्या क्या है तथा उन पर कितना निवेश किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन 20349 लघु सिंचाई योजनाओं के स्रोत तथा उन पर उपलब्ध जल का विवरण क्या है तथा इन 20349 योजनाओं से कितने क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है ?
- लघु सिंचाई

श्री चन्दन राम दास 22.08.2014	'6. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर जनपद में नदियों के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम निर्माण में कितनी योजनायें स्वीकृत हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कमवार योजनाओं का विवरण, लागत सहित उदघटित करेंगे तथा यह निर्माणाधीन योजनायें बरसात आने से पूर्व निर्मित होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>सिंचाई</b>
श्री चन्दन राम दास 22.08.2014	'7. क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर में बी0पी0एल एवं ए0पी0एल खाद्यान्न के कोटे का गेहूं व चावल निरन्तर नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सत्य है कि सस्ता गल्ला विक्रताओं को 6 से 8 महीने से ए0पी0एल0 व बी0पी0एल0 के गेहूं व चावल के लिए बागेश्वर गोदाम में जाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच करा कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>खाद्य</b>
श्री चन्दन राम दास 22.08.2014	'8. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के किसान फल उत्पादक, बन्दरों के आतंक से त्रस्त हैं ? यदि हां, तो सरकार बन्दरों को पकड़ने एवं इनके वदियाकरण आदि किये जाने हेतु कोई ठोस योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>वन</b>
श्री हरभजन सिंह चीमा 22.08.2014	'9. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1994 में तहसील कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल के तीन गांव क्रमशः धारा, झिरना एवं कोठीरो तथा वर्ष 2012 में तहसील रामनगर जनपद नैनीताल के ग्राम लालढांग से वन विभाग द्वारा तहसील काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर के ग्राम मानपुर नई बस्ती एवं ग्राम प्रतापपुर एवं तहसील रामनगर जनपद नैनीताल के ग्राम आमपोखरा में विस्थापित कर कितने परिवारों को बसाया गया था ? क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या संबंधित परिवारों को कब्जे काश्त में दी गई भूमि वन सम्पत्ति से हटाकर जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के संबंधित तहसीलों के भू-अभिलेखों में अंकित हो चुकी है ? यदि हां, तो उसका विवरण उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>राजस्व</b>
श्री हरभजन सिंह चीमा 22.08.2014	'10. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के एस्कोर्ट फार्म में बसे किसानों को वर्ष 2006 में दिये गये पट्टे तहसील रिकार्ड में किसानों के नाम अंकित हो चुके हैं तथा क्या पट्टेधारक किसानों को उन पट्टों के प्रति बैंकों से लोन, खाद एवं बीज आदि सुविधायें उपलब्ध हो रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान तक कितने पट्टे धारक किसानों को सरकार से मिलले वाली उक्त सुविधाओं का लाभ मिल चुका है और उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>राजस्व</b>
श्री दलीप सिंह रावत 22.08.2014	'11. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ईको सेंसिटिव जोन में उत्तराखण्ड के किन किन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है ? क्या मंत्री जी की सहमति से ईको सेंसिटिव जोन चिन्हित किया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रभावित जनता के क्या क्या हक हकूक प्रभावित होंगे तथा प्रभावित जनता को इसके बदले में क्या क्या सुविधायें दी जायेंगी ?	<b>वन</b>

श्री नवप्रभात 22.08.2014	<p>'12. <b>न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।</b></p> <p>क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून एस0एस0पी0आवास तथा गोपनीय कार्यालय सम्पत्ति के स्वामित्व की जांच के लिए गृह सचिव को निर्देशित किया गया था? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है तथा जांच का निष्कर्ष क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सम्पत्ति पर किन-किन लोगों ने स्वामित्व का दावा किया है तथा जांच में उनके दावों की क्या सत्यता पायी गयी ?</p>	गृह
श्री मदन कौशिक 22.08.2014	<p>'13. क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य शहरों में ट्रैफिक जाम की बहुत अधिक समस्या रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रतिदिन के जाम की समस्या को दूर करने हेतु कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?</p>	गृह
श्री गणेश जोशी 25.08.2014	<p>'14. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पार्क में बाघों की कुल संख्या कितनी है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007 के सापेक्ष वर्ष 2013 तक सभी राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव पार्कों में बाघों की संख्या कितनी घटी-बढ़ी है तथा उनके संरक्षण की क्या कोई विशेष योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा बाघों को बचाये जाने के लिए कोई ठोस योजना पर अमल किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?</p>	वन
श्री महावीर सिंह रांगड़ 26.08.2014	<p>'15. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड थौलधार में मनरेगा से किये गये कार्यों का 06 से 08 महीने तक का भुगतान आज तक नहीं हुआ है जो कि लगभग 07 करोड़ तक पहुंच गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास खण्ड थौलधार में मनरेगा के भुगतान पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?</p>	ग्राम्य विकास
श्री नवप्रभात 28.08.2014	<p>'16. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में "ईको टूरिज्म" के विकास के लिए क्या नीति निर्धारित की गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि राज्य में "ईको टूरिज्म डेवलपमेन्ट बोर्ड" बनाने का निर्णय लिया गया है? क्या मंत्री जी "ईको टूरिज्म" की राज्य में लागू परिभाषा की जानकारी प्रदान करेंगे?</p>	वन
श्री दलीप सिंह रावत 28.08.2014	<p>'17. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रिखणीखाल में स्थित खाद्यान्न गोदाम का पुनर्निर्माण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त जीर्ण शीर्ण पड़े खाद्यान्न गोदाम में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने हेतु क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?</p>	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 09.2014 03. '18. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में उत्तराखण्ड राज्य बनने से वर्तमान तक कितनी पटवारी चौकियों का निर्माण किया गया है तथा उनकी जिलेवार संख्या कितनी है ? क्या मंत्री जी उक्त चौकियों को बनाने पर हुए व्यय के विवरण की जानकारी सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि काफी व्यय किये जाने के उपरान्त बनी पटवारी चौकियों में पटवारियों के न बैठने के कारण जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सभी पटवारी अपनी चौकियों में बैठकर अपने कार्यों को करें, इस हेतु कोई आदेश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**राजस्व**

श्री गणेश जोशी 23.09.2014 '19. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि राजस्व विभाग में कार्यरत अमीनों को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए काफी लम्बे समय से धरने पर हैं जिससे समस्त प्रदेश में आम जनता को काफी दिक्कतें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार अमीनों को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति एवं उनकी वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए नियमावली में संशोधन करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**राजस्व**

श्री यतीश्वरानन्द 25.09.2014 '20. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम कांगड़ी, ग्राम-गाजीवाली, ग्राम श्यामपुर, ग्राम पीली, ग्राम-टाटवाला, ग्राम-मीठीबेरी में बरसात के दिनों में पानी ज्यादा आने के कारण गंगा में इन गावों की जमीन (कृषि एवं आबादी भूमि) हर वर्ष कटाव होने के कारण पानी के तेज बहाव के साथ बह जाती है तथा प्रत्येक वर्ष फसलों को काफी नुकसान होता है ? क्या सरकार उक्त गावों की सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**सिंचाई**

### स्थगित अतारांकित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 29.01.2014 01. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा जो विकास कार्यों हेतु मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय को विधायक निधि या अन्य योजनाओं का धन अवमुक्त किय जाता है वह लम्बे समय तक खर्चा न होने पर उस पर ब्याज मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 की ऐसी ब्याज राशि जिलेवार विवरण देने पर विचार करेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस अवधि की राशि का क्या उपयोग किया गया तथा उसका जिलेवार योजना सहित विवरण देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**ग्राम्य विकास**

### अतारांकित प्रश्न

श्रीमती विजय बड़थवाल 05.08.2014 1. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में वर्ष 2012-13 एवं 2014 में किन किन रेंजों में कितने कितने पौधों का वृक्षारोपण ग्रामीणों एवं विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वृक्षों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं तथा कुल कितना धन वृक्षारोपण में किया गया है ? क्या पूर्ण व्यय एवं वृक्षों की संख्या का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**वन**

- श्री दलीप सिंह रावत  
06.08.2014
2. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कार्बेट नेशनल पार्क प्रशासन द्वारा ग्राम झुडंगू (विकास खण्ड— नैनीडांडा) को विद्युत लाईन बिछाने हेतु आपत्ति की जा रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या भविष्य में उक्त ग्राम को विद्युत सुविधा दी जाने हेतु पार्क प्रशासन द्वारा कोई सहायता दी जायेगी ? यदि हां, तो क्या ?
- श्री आदेश चौहान  
08.08.2014
3. क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार जनपद के थाना बहादुराबाद के थानाध्यक्ष द्वारा दिनांक 05.08.2014 को भौदी निवासी एक किसान जो कि अपने सिंचाई नलकूप से दीवार तोड़ कर की गई बिजली की मोटर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने गया था को बताया गया कि अब इस तरह की यहां कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, किसान अपने नलकूपों की स्वयं सुरक्षा करे यह पुलिस विभाग का काम नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की इस प्रकार की समस्याओं को देखने के लिये किसी नये विभाग के गठन पर विचार कर रही है या इस प्रकार के प्रकरण किसान स्वयं देखें ऐसा अधिकार किसानों को दिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री दलीप सिंह रावत  
11.08.2014
4. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र में कितने पटवारी क्षेत्र हैं ? क्या क्षेत्र के पटवारी चौकियों में पूरे पटवारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पटवारी चौकियों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री दलीप सिंह रावत  
11.08.2014
5. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रिखणीखाल में स्वीकृत पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन हेतु धन स्वीकृत है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों तथा भवन बनने की समयावधि क्या है ?
- श्रीमती अमृता रावत  
11.08.2014
6. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।**  
क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों की सूची मा0 मुख्यमंत्री को संबोधित प्रश्नकर्ता के पत्रांक 576 मंत्री/18—राजस्व/2013—14 दिनांक 06 फरवरी, 2014 तथा पत्रांक 893/ मंत्री/18—राजस्व/2013—14 दिनांक 27 मार्च, 2014 में वर्णित लम्बित प्रकरणों के निवारण हेतु की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति के प्रकरणवार विवरण क्या हैं तथा कब तक लम्बित प्रकरण का निवारण किया जायेगा ?
- श्रीमती अमृता रावत  
12.08.2014
7. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत वर्ष 2012—13 तथा वर्ष 2013—14 की विधायक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत/संस्तुत योजनाओं और उनके निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तथा योजनाओं के निर्माण की कार्य प्रगति का योजनावार विवरण क्या है तथा कब तक योजनाओं के अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण किये जायेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 2012—13 तथा वर्ष 2013—14 की विधायक निधि से स्वीकृत योजनाओं की वित्तीय वर्षवार संख्या तथा स्वीकृत कुल धनराशि और व्यय की गई कुल धनराशि का वित्तीय वर्षवार विवरण क्या है ?

- श्रीमती अमृता रावत  
12.08.2014
8. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल स्थित झील का मलवा साफ किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 5444/मंत्री/8-सिंचाई/2013-14 दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 के क्रम में भीमताल स्थित झील के मलवे की सफाई हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है तथा कब तक उक्त झील का मलवा साफ किया जायेगा ? **सिंचाई**
- श्रीमती अमृता रावत  
12.08.2014
9. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामनगर के अन्तर्गत टेड़ा गांव एवं भरतपुरी, पम्पापुरी बाढ़ की सुरक्षा योजना के संबंध में मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र संख्या वी0आई0पी0(एम)/3235/मूट. 1/2014(3) दिनांक 10 मार्च, 2014 के साथ अग्रसारित पत्र में प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने की दिशा में की गयी कार्यवाही और हुई प्रगति का योजनावार विवरण क्या है तथा कब तक प्रस्तावित योजनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जायेगी ? **सिंचाई**
- श्रीमती अमृता रावत  
12.08.2014
10. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत डेला नदी से ग्राम मालधन में डेलेश्वर महादेव में बाढ़ सुरक्षा हेतु रू0 14.84 लाख की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में प्रश्नकर्ता पत्रांक 5415/मंत्री/8-सिंचाई/2013-14 दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 के संबंध में बाढ़ सुरक्षा हेतु धनराशि स्वीकृत करने/करवाने की दिशा में की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक बाढ़ सुरक्षा हेतु प्रस्तावित धनराशि स्वीकृत की जायेगी ? **सिंचाई**
- श्रीमती विजय बड़थवाल  
13.08.2014
11. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में वन विभाग के द्वारा कितने हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण वर्ष 2014 में किया गया तथा इनमें से कितने पेड़ जीवित हैं ? क्या इस क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु भूमि शेष है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? **वन**
- श्री मदन कौशिक  
13.08.2014
12. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में खेल के समूचित विकास हेतु नये खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा खेल नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो उक्त नीति के परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? **खेल**
- श्रीमती अमृता रावत  
14.08.2014
13. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत ग्राम पाटकोट तथा ग्राम नया झिरना में नलकूप अधिष्ठापित करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 768/मंत्री/8-सिंचाई/2013-14 में प्रस्तावित नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक प्रस्तावित नलकूपों को अधिष्ठापित किया जायेगा ? **सिंचाई**

- श्रीमती अमृता रावत  
14.08.2014
14. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत अब तक किन-किन ग्रामों/स्थानों पर नलकूप निर्माण करवाये जाने की मांग प्राप्त हुई है और प्राप्त मांगों के सापेक्ष किन किन स्थानों पर नलकूप स्थापित किए जा चुके हैं तथा अवशेष स्थानों पर कब तक नलकूप स्थापित किये जायेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि रामनगर के अन्तर्गत किन किन स्थानों पर नलकूप स्थापित किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित हैं तथा लम्बित प्रस्तावों पर शासन स्तर से की जा रही कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है ?
- श्रीमती विजय बड़थवाल  
14.08.2014
15. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजी जी नेशनल पार्क की सीमांकन का नोटिफिकेशन हो चुका है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि राजाजी नेशनल पार्क के गौहरी रेंज में कई आबाद ग्राम हैं ? क्या सरकार गौहरी रेंज को राजाजी पार्क से अलग करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्या कुमाऊ गांव में बिजली, सड़क, अस्पताल आदि सुविधा व कौडिया, किमसार मोटर रोड का डामरीकरण अति शीघ्र करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
14.08.2014
16. क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा के सस्ते गल्ले के राशन विक्रेताओं द्वारा अक्टूबर और नवंबर 2012 में राशन हेतु चालान लगाए गए थे परन्तु आज तक कई बार निवेदन करने के उपरांत भी उन्हें राशन नहीं दिया गया है ? क्या मंत्री जी उन सभी राशन विक्रेताओं को जिन्होंने चालान जमा किये हैं राशन दिलाने या कोई अन्य उचित कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्रीमती अमृता रावत  
19.08.2014
17. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत खत्ते, टोगियां एवं वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने एवं इनके ग्रामों में मूलभूत सुविधायें दिये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के दिनांक 21 जनवरी, 2014 के पत्र के उत्तर में आपके दिनांक 30 जनवरी, 2014 के अ0शा0 पत्र संख्या 118/पी0एस0/14 के द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किए जाने की जानकारी दी गई है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा की गई यथोचित कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक बन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जायेगा ?
- श्रीमती अमृता रावत  
19.08.2014
18. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।**  
क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत सुन्दरखाल तथा चुकम ग्रामों के विस्थापन के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को संबोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 572/मंत्री/18-राजस्व/2013-14, दिनांक 06 फरवरी, 2014 तथा पत्रांक 894/मंत्री/18-राजस्व/2013-14 दिनांक 27 मार्च, 2014 तथा जिलाधिकारी नैनीताल का पत्रांक 504/13-सी0आर0एक0(दौ0आ0)/विस्थापन/2013-14 दिनांक 16 जून, 2013 शासन/सरकार को कब प्राप्त हुआ है और उक्त संदर्भित पत्रों में वर्णित तथ्यों पर की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है तथा ग्राम सुन्दरखाल एवं ग्राम चुकम का विस्थापन कब तक किया जायेगा ? क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 572/मंत्री/18-राजस्व/2013-14, दिनांक 06 फरवरी, 2014 पर प्रमुख सचिव वन का इस प्रकरण पर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं ? यदि हां, तो मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन हेतु की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है ?

- श्रीमती अमृता रावत  
19.08.2014
19. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत मालधनचौड़ में मिनी गैस गोदाम की स्थापना करने हेतु 10 नाली सरकारी भूमि उपलब्ध किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी नैनीताल को संबोधित तत्कालीन पर्यटन मंत्री का पत्रांक 550/मंत्री/28-पर्यटन/2013-14 दिनांक 10 जनवरी, 2014 कब प्राप्त हुआ है तथा पत्र के द्वारा की गई अपेक्षा के अनुपालन हेतु की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि स्थान मालधनचौड़ में मिनी गैस गोदाम की स्थापना हेतु कब तक भूमि उपलब्ध कर दी जायेगी ?
- श्री दलीप सिंह रावत  
19.08.2014
20. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बगोड़ा थाना रिखणीखाल के ग्रामवासियों के खिलाफ वन विभाग द्वारा किये मुकदमें वापस लिये जा रहे हैं ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री दलीप सिंह रावत  
19.08.2014
21. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों सीरवोवाड़ी-अमलेसा-धौलखेतखाल, मैदोली-परिदा-डेरियालखाल, टकोलीखाल- वनगढ़-छानीखाल, कोटिला, बाडाडांडा को अनापत्ति प्रमाण पत्र न देने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मामले कब से लम्बित हैं और उनका विवरण क्या है ?
- श्री दलीप सिंह रावत  
19.08.2014
22. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने पुल, सड़कें एवं पेयजल योजनओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र लम्बित हैं तथा इनके विलम्ब के क्या कारण हैं एवं उनका विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विलम्ब करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री विशन सिंह चुफाल  
19.08.2014
23. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत मड़माले धुर्चू 12 कि०मी० सड़क स्वीकृत है तथा दस कि०मी० सड़क का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम धुर्चू को जोड़ने हेतु शेष दो कि०मी० का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री हरभजन सिंह चीमा  
19.08.2014
24. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश की प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन किए जाने के प्रति आयोग का गठन किया गया है ? यदि हां, तो पुनर्गठन आयोग का प्रारूप क्या है तथा आयोग के गठन की तिथि से अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं ? क्या सरकार आबादी के अनुसार थाने एवं तहसीलों का गठन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री हरभजन सिंह चीमा  
19.08.2014
25. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत काशीपुर को नए जनपद के रूप में गठित किया जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?



श्री महावीर सिंह रांगड़ 20.08.2014	26. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत सकलाना के नवागांव, हवेली, जाड़गांव, मझगांव (सेलवाणी) सेमवालगांव, मरोड़ा, लामकाण्डे, हटवालगांव, मटियाणगांव, कुण्ड, सेरा, रगड़गांव, तौलियाकाटल और कुमाल्डा तक सभी ग्रामों की खेती एवं आवासीय भवनों को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचा है ? क्या सरकार बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सौंग नदी में सुरक्षा दीवार बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>सिंचाई</b>
श्री दलीप सिंह रावत 20.08.2014	27. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों हेतु वन विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र न देने के क्या कारण हैं ? क्या भविष्य में लम्बित सड़कों हेतु विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर विचार करेगी ? यदि हां तो उसकी अवधि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>वन</b>
श्री महावीर सिंह रांगड़ 21.08.2014	28. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत सकलाना पट्टी में 16 अगस्त, 2014 की भीषण वर्षा एवं बादल फटने से बादल नदी ने टिहरी गढ़वाल की सकलाना पट्टी के विभिन्न ग्रामों गोठ, भुत्सी एवं रवाली (जमठियालगांव) ताल (घेना), सिल्ला सेरा, ताछिला सेरा, काटल (धनचुला), सीतापुर उपल्ला, सीतापुर पल्ला (धौलगिरी), त्वारखा श्रीपुर, कुमाल्डा (भरवाकाटल) तक आवासीय भवन एवं फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद टिहरी गढ़वाल की तरफ भी दूसरी तरफ जनपद देहरादून की भांति बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सौंग नदी में सुरक्षा दीवार बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>सिंचाई</b>
श्री विशन सिंह चुफाल 21.08.2014	29. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत जाख, सिरकुच, बगड़ीहाट, तितरी, दुलीसेरा, डोडा ग्राम पंचायतों में गैस आपूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति</b>
श्री दलीप सिंह रावत 21.08.2014	30. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन वन प्रभाग का कार्यालय कोटद्वार में स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं ? क्या अधिकारियों के साजिश के कारण कोटद्वार में वन प्रभाग का कार्यालय स्थानान्तरित किया गया ? क्या सरकार जनहित में उक्त कार्यालय को लैंसडौन में पुनः स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>वन</b>
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 22.08.2014	31. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कितनी सड़कें ऐसी हैं जो वन भूमि के कारण लम्बित हैं ? क्या सरकार लम्बित सड़कों का निस्तारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>ग्राम्य विकास</b>
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 22.08.2014	32. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के लोहाघाट में छमनिया स्टेडियम निर्माण की मांग लम्बे समय से की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार छमनियां में स्टेडियम का निर्माण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो स्टेडियम निर्माण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>खेल एवं युवा कल्याण</b>

श्री पूरन सिंह फत्याल 22.08.2014	33. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के लोहाघाट की कोलीढेक झील की मांग पिछले 15 वर्षों से लगातार की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इसमें कब-कब कितनी धनराशि खर्च की गई है एवं किस-किस कार्य के लिए खर्च की गई है ? क्या सरकार द्वारा झील की स्वीकृति दे दी गई है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>सिंचाई</b>
श्री विशन सिंह चुफाल 22.08.2014	34. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के तरानी नहर पर 2013-14 में कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? यदि हां तो क्या तरानी नहर से सिंचाई हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>सिंचाई</b>
श्री हरभजन सिंह चीमा 22.08.2014	35. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में बहने वाली ढेला नदी में प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में बाढ़ आने से नगर क्षेत्र एवं ग्रामीण इलाके के ग्राम रायपुरखुर्द, बॉसखेड़ी, जगन्नाथपुर एवं गुलड़िया में आबादी व खेती का काफी नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या बाढ़ के कहर से क्षेत्र को बचाये जाने हेतु नदी के किनारे पक्के तटबन्ध बनाये जाने का कार्य आगामी बरसात से पूर्व कराया जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>सिंचाई</b>
श्री हरभजन सिंह चीमा 22.08.2014	36. क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार निर्वाचित विधायकों पर किस प्रकार का मुकदमा दर्ज किए जाने से पूर्व पुलिस प्रशासन द्वारा माननीय अध्यक्ष विधान सभा/मा0 मुख्यमंत्री से स्वीकृति लिए जाने की बाध्यता पर कानून लाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>गृह</b>
डा0 प्रेम सिंह राणा 22.08.2014	37. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंहनगर के नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रनसाली नामक गांव को राजस्व गांव बनाने पर सरकार कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>राजस्व</b>
श्री पुष्कर सिंह धामी 25.08.2014	38. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत बग्गा चव्वन को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक घोषणा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>राजस्व</b>
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 25.08.2014	39. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भारत सरकार से वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त न होने पाने के कारण वर्षों से स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र वन भूमि की स्वीकृति हेतु कोई नियमावली या दिशा निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>वन</b>
डा0 प्रेम सिंह राणा 25.08.2014	40. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत नानकमत्ता क्षेत्र में नई तहसील बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>राजस्व</b>
श्री महावीर सिंह रांगड़ 25.08.2014	41. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड सरकार प्रदेश में नये राजस्व गांव के गठन पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक गांव गठित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>राजस्व</b>

श्री पूरन सिंह फत्याल 25.08.2014	42. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय पॉलीटेक्निक लोहाघाट (चम्पावत) में प्रवक्ताओं एवं अन्य स्टाफ के पद लम्बे समय से रिक्त हैं तथा स्टाफ की कमी के कारण संस्थान में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>तकनीकी शिक्षा</b>
श्री नवप्रभात 26.08.2014	43. <b>प्रथम शुक्रवार के अता0 23 में स्थाना0</b> क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रा0औ0प्र0 संस्थान विकासनगर देहरादून के औद्योगिक पार्टनर के रूप में मै0 जनार्दन प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज लि0 को नियत किया गया है ? यदि हां तो कब ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस औद्योगिक पार्टनर द्वारा रा0औ0प्र0 संस्थान, विकासनगर को क्या तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराये गये तथा कौन से नये व्यवसाय सृजित किये गये ?	<b>तकनीकी शिक्षा</b>
श्री चन्दन राम दास 26.08.2014	44. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र में कितनी सड़कों को स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त सड़कों को एन0पी0पी0 जमा होने के बाद भी लम्बे समय से अन्तिम स्वीकृति नहीं मिलने का क्या कारण है ? क्या सरकार अन्तिम स्वीकृति के लिए विशेष प्रबन्ध समयबद्ध तरीके से करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>वन</b>
डा0 प्रेम सिंह राणा 26.08.2014	45. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंहनगर के नानकमत्ता में स्टेडियम बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>खेल</b>
डा0 प्रेम सिंह राणा 26.08.2014	46. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंहनगर के नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नानकमत्ता में पॉलीटेक्निक कालेज बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>तकनीकी शिक्षा</b>
श्री गणेश जोशी 26.08.2014	47. क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड पुलिस के जवानों को सरकार द्वारा बनायी गयी नीति के अनुसार उनके पोशाकों का वितरण प्रतिवर्ष किया जाता है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पुलिस विभाग में वर्ष 2009 के बाद से कितने पुलिसकर्मियों को विभागीय पहचान पत्र वितरित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पुलिसकर्मियों को उनकी पोशाक एवं विभागीय पहचान पत्र वितरित किये जाने पर कोई विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>गृह</b>
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 26.08.2014	48. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों जैसे सम्पर्क मार्ग निर्माण या अन्य कोई भी विकास कार्य किये जाने हैं, पर सरकार द्वारा रायल्टी ली जाती है ? यदि हां, तो उसे किस आधार पद दिया जाता है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या विधायक निधि के कार्य पर इसे रायल्टी से मुक्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>ग्राम्य विकास</b>

- श्रीमती अमृता रावत  
26.08.2014
49. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामनगर के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत स्टेडियम/क्रीडा स्थलों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक दिनांक 22.10.2012 के पत्र के उत्तर में दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 के पत्र द्वारा सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को आवश्यक निर्देश दिये जाने की जानकारी दी गयी है ? यदि हां, तो सचिव ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सचिव ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संदर्भित प्रकरण पर की गयी कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध न कराये जाने के कारण क्या हैं और निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के प्रति की जा रही इस उपेक्षा के प्रति कौन उत्तरदायी है ?
- श्रीमती अमृता रावत  
26.08.2014
50. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सीमड़ी गदरे से ग्राम काण्डा मल्ला-बीरवाला तीलू रौतेली स्मारक तक सर्वेक्षण के अनुसार मार्ग का निर्माण न कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक-1121/मंत्री/6-निर्माण/2013-14 दिनांक 19 मार्च 2014 का प्रत्यावेदन मुख्य अभियन्ता उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण देहरादून को कब प्राप्त हुआ है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रत्यावेदन में वर्णित तथ्य क्या क्या है तथा इन तथ्यों पर की गयी कार्यवाही और हुयी प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है तथा कब तक प्रस्तावित मार्ग का निर्माण सर्वेक्षण के अनुसार किया जायेगा तथा पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी अभी तक प्रश्नकर्ता को न दिये जाने के कारण क्या हैं तथा इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?
- श्रीमती अमृता रावत  
27.08.2014
51. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 1004/विधायक/विधायक निधि/2014-15 दिनांक 05 जून, 2014 के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल द्वारा विधायक निधि से स्वीकृत योजनाओं के निर्माण के पश्चात अवशेष धनराशि की जानकारी यथाशीघ्र करवाने का अनुरोध किया गया है ताकि अवशेष धनराशि के अन्तर्गत अन्य योजनायें स्वीकृत हेतु संस्तुति की जा सके ? यदि हां, तो वाञ्छित जानकारी प्रश्नकर्ता को कब उपलब्ध करवाई गई है तथा प्रश्नकर्ता की विधायक निधि के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि अवशेष है ?
- श्री गणेश जोशी  
27.08.2014
52. क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि मसूरी में अवस्थित भिलाडू खेल मैदान को राजकीय स्टेडियम बनाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त खेल मैदान के विस्तारीकरण के लिये कोई योजना बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री पुष्कर सिंह धामी  
27.08.2014
53. क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन हेतु खटीमा विधान सभा क्षेत्र के सर्वाधिक शहीद हुए आन्दोलनकारियों की स्मृति में खटीमा में स्मारक बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

- श्री पुष्कर सिंह धामी  
27.08.2014
54. क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत सम्पूर्ण खटीमा आन्दोलनकारी क्षेत्र होने के कारण इन आन्दोलनकारियों का पूर्ण एवं अन्तिम चिन्हीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **गृह**
- श्री नवप्रभात  
28.08.2014
55. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।**  
प्रथम सत्र 2013 के अल्पसूचित प्रश्न के क्रम में क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के बीच वन पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि रुपये 4564.5 लाख से कुल कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया ? क्या इस वृक्षारोपण में राज्य की वृक्षारोपण नीति का पालन सुनिश्चित किया गया ? यदि हां, तो क्या वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का अस्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विभाग द्वारा वृक्षारोपण किये गये पौधों के सफलता प्रतिशत का अस्थलीय निरीक्षण कराया गया ? यदि हां, तो इस वृक्षारोपण का प्रजातिवार विवरण तथा इस अवधि में शेष रुपये 1256.00 लाख के प्रयोग का मदवार विवरण क्या है ? **वन**
- श्री गणेश जोशी  
28.08.2014
56. क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि दिनांक 20 जुलाई, 2012 को राज्य अवरस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम के नवनिर्मित मुख्यालय भवन के शुभारम्भ के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा आईटी0 पार्क के निकट नवनिर्मित राजीव गांधी क्रीडा मैदान के विस्तार एवं सुधारीकरण की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को ध्यान में रखते हुए कार्य शुरू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना कार्य हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? **खेल**
- श्री दलीप सिंह रावत  
28.08.2014
57. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार तहसील के अन्तर्गत पट्टी मोटाढाक के ग्राम-सतीचौड़ में राजस्व भूमि एवं केसर हिन्द भूमि की स्थिति क्या है ? क्या विभाग द्वारा उक्त भूमि में अवैध कब्जाधारियों को हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **राजस्व**
- श्री नवप्रभात  
29.08.2014
58. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नये विकास खण्ड सृजित करने की क्या नीति है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं कार्यालय संचालन का खर्च किसके द्वारा वहन किया जाता है ? **पंचायती राज**
- श्री नवप्रभात  
29.08.2014
59. **विस्तीर्णता एवं विभिन्न विभागों से संबंधित होने के आधार पर निरस्त।**  
क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में कर्मचारियों को आउट सोर्सिंग के आधार पर रखने के लिये सेवादाता ऐजेन्सी के चयन के क्या मानक हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 31 दिसम्बर, 2013 को प्रदेश में सेवादाता ऐजेन्सी के माध्यम से तैनात किये गये कार्मिकों का जनपदवार ऐजेन्सीवार विवरण क्या है ? **ग्राम्य विकास**
- श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
02.09.2014
60. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा क्षेत्र मछोड़ नामक स्थान पर उप-तहसील की स्वीकृति फरवरी, 2014 में प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उप तहसील प्रभावी होकर उसका लाभ क्षेत्रीय जनता को प्राप्त हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? **राजस्व**

- श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
02.09.2014
61. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा जिले की सल्ट तहसील का नाम शहीदों की शहादत को अमर रखने हेतु सल्ट खुमाड़ करने की स्वीकृति फरवरी, 2014 को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो सल्ट तहसील का नाम सल्ट खुमाड़ किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? **राजस्व**
- श्री नवप्रभात  
21.08.2014
62. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में "बीच कैम्पिंग पॉलिसी" मंजूर की गयी है ? यदि हां, तो कौन कौन से क्षेत्र इसके लिये चिन्हित किये गये हैं ? क्या वन्य जीव अभ्यारण्यों की 02 कि०मी० की परिधि पर लागू किये गये नियम बीच कैम्प पर भी लागू होंगे ? **वन**
- श्री नवप्रभात  
04.09.2014
63. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।**  
क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के बीच वन पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू० 4564.5 लाख से कुल कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया ? क्या इस वृक्षारोपण में राज्य की वृक्षारोपण नीति का पालन सुनिश्चित किया गया ? यदि हां, तो क्या वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का सत्यापन एवं सफलता प्रतिशत का स्थलीय निरीक्षण कराया गया है तथा इस अवधि में शेष रू० 1256.00 लाख के प्रयोग का मद वार विवरण क्या है ? **वन**
- श्री नवप्रभात  
04.09.2014
64. क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की 20349 लघु सिंचाई योजनाओं पर कुल कितना धन निवेश किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन योजनाओं से प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में कितनी बिजली हुयी है तथा योजनाओं का जनपदवार विवरण क्या है ? **लघु सिंचाई**
- श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
04.09.2014
65. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में पालपुर गांव की सिंचाई नहर 02 वर्ष से बन्द पड़ी है और क्षेत्रवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पिछले दो वर्षों में इस नहर पर विभाग द्वारा किये गये व्यय का विवरण देते हुए इसे शीघ्र प्रारम्भ करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? **सिंचाई**
- श्री नवप्रभात  
08.09.2014
66. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में "वॉटर रेगुलेटर आयोग" के गठन का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस आयोग के अधिकार/कार्यक्षेत्र की जानकारी प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इस विषय में सरकार की नीति की जानकारी देंगे ? **सिंचाई**
- श्री महावीर सिंह रांगड़  
08.09.2014
67. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत जिलावार बजट कितना है ? क्या मरनेगा के कार्ड धारकों का समय पर भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो सरकार इस दिश में क्या कार्यवाही कर रही है ? **ग्राम्य विकास**
- श्रीमती अमृता रावत  
08.09.2014
68. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजा जी और सोना नदी वार्डल्ड लाईफ के विस्थापन की तरह कार्बेट रिजर्व के झिरना तथा ढेला रेंज में रह रहे 140 परिवारों को विस्थापित किये जाने के संबंध में राजस्व मंत्री को लिखे गये प्रश्नकर्ता के दिनांक 12.09.2013 के पत्र में वर्णित तथ्यों पर की गयी कार्यवाही और अब तक हुयी प्रगति का विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कब तक उक्त 140 परिवारों को विस्थापित किया जायेगा ? **वन**

- श्री दलीप सिंह रावत  
10.09.2014
69. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ वन प्रभार के अन्तर्गत विगत 05 वर्षों में (2010-2014) किन किन ग्रामों को वन जीवों द्वारा की गयी हानि पर मुआवजा दिया गया ? मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या पूर्व में लाभान्वित कुछ ग्रामों को उक्त मुआवजे से वंचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?
- श्री दलीप सिंह रावत  
10.09.2014
70. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नैनीडांडा रिखड़ीखाल और जहरीखाल विकास खण्डों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 2013-14 में कितनी सड़कें निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त विकास खण्डों में इस योजना के अन्तर्गत कुछ सड़कों में कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो उनका पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री दलीप सिंह रावत  
10.09.2014
71. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वनों को आग बुझाने में मृत्यु को प्राप्त दैनिक वेतन कर्मियों के आश्रितों को विभाग में नियुक्ति देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो सन् 2009 में लैंसडौन वन प्रभार के अन्तर्गत लैंसडौन रेन्ज के सिलोगी क्षेत्र में आग बुझाते हुए दैनिक वेतन कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति न देने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री पूरन सिंह फर्त्याल  
10.09.2014
72. **प्रथम शुक्रवार के अता0 24 में स्थाना0**  
क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में 20 कि0मी0 के दायरे में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान न होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा हेतु दूरस्थ क्षेत्रों तथा अन्य जिलों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार लोहाघाट नगर में आई0टी0आई खोले जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री दलीप सिंह रावत  
11.09.2014
73. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में माध्यमिक एवं बेसिक स्तर के विद्यालयों को वार्षिक खेल आयोजनों हेतु विभाग द्वारा धन आवंटित किया जाता है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? क्या उक्त आवंटित धन आयोजन हेतु पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या विभाग इस धनराशि को बढ़ाने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री दलीप सिंह रावत  
11.09.2014
74. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कार्बेट नेशनल पार्क के अन्तर्गत गठित टाइगर कन्जर्वेशन फाउन्डेशन का ढांचा क्या है तथा उक्त का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त टाइगर फाउन्डेशन में स्थानीय जन प्रतिनिधि का स्थान है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री पूरन सिंह फर्त्याल  
12.09.2014
75. **प्रथम शुक्रवार के अता0 25 में स्थाना0**  
क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत चौमेल में क्षेत्रीय जनता द्वारा रोजगार परख शिक्षा के दृष्टिगत विगत लम्बे समय से औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई0टी0आई) खोले जाने की मांग की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार चौमेल में आई0टी0आई खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन सिंह फर्त्याल 15.09.2014	76. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कें स्वीकृत हैं जिनका अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है तथा कितनी सड़कें ऐसी हैं जो वन भूमि के कारण लम्बित पड़ी हैं ? क्या सरकार स्वीकृत तथा लम्बित सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>ग्राम्य विकास</b>
श्री दलीप सिंह रावत 16.09.2014	77. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वान के अन्तर्गत स्वीकृत बड़खेत पॉलिटेक्निक कालेज (रिखणीखाल) में इस वर्ष 2014-15 के सत्र में प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि हां, तो कितने शिक्षकों की नियुक्ति उक्त पॉलिटेक्निक कालेज में कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>तकनीकी शिक्षा</b>
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 16.09.2014	78. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में चार नये जनपदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है जिसमें काफी कार्य भी किये गये थे और शासनादेश भी जारी हो गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त जिलों के सृजन की अद्यतन स्थिति क्या है ? क्या सरकार शीघ्र कार्यवाही करते हुए चारों जनपदों के सृजन का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>राजस्व</b>
श्री चन्दन राम दास 16.09.2014	79. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर नगर के सरयू नदी पर नुमाई खेत की तरफ घाटों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>सिंचाई</b>
श्री चन्दन राम दास 17.09.2014	80. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर जिले के खॉकर एवं उडेरखानी में सिंचाई विभाग के नलकूप डिवीजन से बोरिंग योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसकी लागत दोनों योजनाओं की कितनी धनराशि में है तथा योजना कितने ग्रामों को सिंचित करेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इसके पूर्ण होने पर कितना समय लग जायेगा तथा योजना के काम बन्द होने के क्या कारण हैं ?	<b>सिंचाई</b>
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 18.09.2014	81. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के नगर पालिका लोहाघाट द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध रूप से प्राकृतिक रूप से गिरे देवदार के वृक्षों को काटकर नीलामी की गयी है ? यदि हां, तो वन विभाग द्वारा संबंधित के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>वन</b>
श्री चन्दन राम दास 19.09.2014	82. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में इंजीनियरिंग कालेज स्वीकृति की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो घोषणा के आधार पर शासनादेश जारी हो गया है ? यदि हो गया तो कब तक इंजीनियरिंग कालेज प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>तकनीकी शिक्षा</b>
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 19.09.2014	83. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों का विधानसभा वार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां तो इनमें से कितनी सीटों के सापेक्ष कितने छात्रों ने प्रवेश लिया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार रिक्त सीटों पर प्रवेश से वंचित रह गये छात्रों को अवसर प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	<b>तकनीकी शिक्षा</b>



- श्री सहदेव सिंह पुण्डीर  
29.09.2014
84. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शंकरपुर में कृषि सिंचाई नलकूप लगभग 3 वर्ष पूर्व खराब हो चुका था, जिस कारण कृषि भूमि बंजर हो चुकी है और किसानों के आगे आजीविका का संकट गहराता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सिंचाई नलकूप लगाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री प्रेम चन्द अग्रवाल  
29.09.2014
85. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि तीर्थनगरी ऋषिकेश में प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट तट से गंगा-धारा काफी दूरी पर बह रही है जिससे तीर्थयात्री श्रद्धालुओं को गंगा आचमन व स्नान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार गंगा धारा को त्रिवेणी-घाट तट पर लाने हेतु कोई प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री प्रेम चन्द अग्रवाल  
29.09.2014
86. क्या बाढ़ नियंत्रण मंत्री अवगत हैं कि ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गौहरीमाफी में लगभग 5.96 रू0 करोड़ की लागत का कार्य बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से स्वीकृत हुआ था जिसे कार्य प्रारम्भ करने के बाद रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार कार्य पुनः आरम्भ करवाने के समाधान हेतु क्या कदम उठा रही है ?
- श्री संजय गुप्ता  
09.10.2014
87. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत सोलानी नदी में 15-20 वर्ष से सिल्ट साफ नहीं हुई जिसके कारण नदी का स्तर ऊंचा होने से पानी खेतों व गावों में घुस जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में सोलानी नदी में सिल्ट साफ करने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- हाजी सरवत करीम अंसारी  
13.10.2014
88. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार के ग्राम बसेड़ी खाददर, वि०ख० लक्सर के वर्ष 1995 से 2000 तक निर्वाचित ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत में कितनी वित्तीय अनियमिततायें की गयी हैं ? उक्त अवधि में ग्राम प्रधान पर जांचोपरान्त कितनी धनराशि की आर०सी० जारी की गयी थी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जारी आर०सी० की धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा जमा करा दी गयी है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

## नत्थी-“घ”

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 नवम्बर, 2014 की बैठक में दिनांक 26 नवम्बर, 2014 से दिनांक 27 नवम्बर, 2014 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

नवम्बर, 2014

**26 बुधवार**

**1. विधायी कार्य।**

- (1) उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
- (2) उत्तराखण्ड रज्जू मार्ग विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

**2. सरकारी संकल्प**

- (1) माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्न सरकारी संकल्प पर चर्चा:—(30 मिनट)

“राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिए ऐसी नितियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृषि, औद्योगिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके, अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बन सके।

- (2) माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्न सरकारी संकल्प पर चर्चा:—(30 मिनट)

“राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार समता तथा सुधारों के लिए ऐसी नितियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों के प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सके। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।

## 3. विगत सत्र के नियम-54 की सूचना

- (1) श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-(30 मिनट)

“जनपद देहरादून के पछवाडून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।”

- (2) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:-(30 मिनट)

“प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।”

- (3) डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-(30 मिनट)

“उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।”

- (4) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:- (30 मिनट)

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में स्थानीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदान की अनिवार्यता की जाय।”

- (5) श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:- (30 मिनट )

“जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005-25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्चात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005-2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है:-

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लीगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरास पट्टी, 13. मितरली, 14. मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गटन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।

अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना, जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005-25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बन्धी।”

6. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर, चर्चा:—(30 मिनट )

“उत्तराखण्ड राज्य में “ईको सेंसिटिव जोन” को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जाये।”

7. श्री राजकुमार टुकराल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी सकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:—

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि समस्त उत्तराखण्ड राज्य की मलिन बस्तियों में नजूल भूमि व कृषि कार्य वाली भूमि पर वर्षों से असहाय रूप से निवास कर रहे निर्धन नागरिकों को उनके स्वामित्व में फ्रीहोल्ड कर पट्टे प्रदान किये जाएं एवं शहरी कालोनियों में फ्रीहोल्ड प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ कर नागरिकों को भौमिक अधिकार प्रदान किये जाए।”

8. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी सकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-  
 “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में बाल मजदूरी को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।”
9. श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी सकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-  
 “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगे हुए ग्राम पंचायतों से लोगों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार हेतु एक अलग से योजना बनाई जाय।”
10. श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी सकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-  
 “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के 1065 गैर आबाद ग्रामों को पुनः आबाद करने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाने तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए समयबद्ध योजना बना कर क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।”
11. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी सकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-  
 “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गंगा सफाई अभियान की तरह उत्तराखण्ड की काशी बागेश्वर की प्रसिद्ध नदी सरयू व गोमती को स्वच्छ, निर्मल बनाये जाने के लिए सरकार योजना बनाकर प्रयास सुनिश्चित करें।”
12. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-  
 “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।”
13. डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-  
 “इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।”

14. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति “यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिये “गंगा विकास प्राधिकरण” की भांति “यमुना विकास प्राधिकरण” का गठन भी किया जाय।”

**शेष कार्यक्रम यथावत।**

## नत्थी- "ड"

### वित्तीय वर्ष 2014-2015 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगों में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या:- 6-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, 7-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाए, 8-आबकारी, 10-पुलिस एवं जेल, 11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, 12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण 13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, 14-सूचना, 15-कल्याण योजनाए, 16-श्रम और रोजगार, 17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान 18-सहकारिता, 19-ग्राम्य विकास, 20-सिंचाई एवं बाढ, 22-लोक निर्माण, 23-उद्योग, 24-परिवहन, 25-खाद्य 26-पर्यटन, 27-वन, 28-पशुपालन, 29-औद्यानिक विकास, 30-अनुसूचित जातियों, 31-अनुसूचित जनजातियों

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1 श्री अजय भट्ट	
2 श्री तीरथ सिंह	
3 श्री हरबंस कपूर	
4 श्री बंशीधर भगत	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की
5 श्री बिशन सिंह चुफाल	राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।
6 श्री मदन कौशिक	कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की
7 श्रीमती विजय बड्थवाल	आलोचना करना तथा सुझाव देना।
8 श्री अरविन्द पाण्डे	
9 श्री चन्दन राम दास	
10 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	
11 श्री चन्द्रशेखर	
12 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल	
13 श्री गणेश जोशी	
14 श्री मालचन्द	
15 श्री पुष्कर सिंह धामी	
16 श्री राजकुमार टुकराल	
17 श्री महावीर सिंह	
18 श्री आदेश चौहान	
19 श्री संजय गुप्ता	
20 स्वामी यतीश्वरानन्द	
21 श्री दलीप रावत	
22 श्री पूरन सिंह फर्त्याल	